

राजस्थान सरकार
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग

क्रमांक: एफ.5(थ-75)डीटीए/IFMS/WAM-20/ 5०69

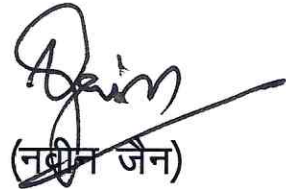
दिनांक 03/11/2025

परिपत्र

वित्त (वित्तीय नियम) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.07.2025 से IFMS 3.0 पर निर्माण कार्यों से संबंधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। उक्त निर्देशों की निरन्तरता में निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण विधानसभा/संसदीय क्षेत्रवार किए जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए IFMS 3.0 पर निर्माण कार्यों से संबंधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने हेतु दिनांक 03.11.2025 से MLA Constituency एवं MP Constituency का इन्द्राज सिस्टम पर किया जाना अनिवार्य होगा।

इस प्रक्रिया में दिनांक 03.11.2025 से IFMS 3.0 से जारी होने वाली समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों में Initiate करते समय तथा पूर्व में अनुमोदन हेतु विचाराधीन प्रकरणों में स्वीकृतियाँ जारी करते समय MLA Constituency एवं MP Constituency इन्द्राज करना अनिवार्य होगा।

उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।



(नवीन जैन)

शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :-

1. अति. मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/सिविल लेखा परीक्षा/वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय 1, 2, 3, 4 एवं 5) विभाग।
8. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
9. निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव/मुख्य अभियंता, समस्त निर्माण विभाग राजस्थान।
11. वित्तीय सलाहकार, समस्त निर्माण विभाग राजस्थान।
12. कोषाधिकारी/उप-कोषाधिकारी समस्त।
13. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, सचिवालय, जयपुर।
14. वरिष्ठ निदेशक (आई.टी) एन.आई.सी. (ट्रेजरी) वित्त भवन, जयपुर।
15. तकनीकी निदेशक (आई.टी.), एनआईसी (वॉम) वित्त भवन, जयपुर।
16. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित।
17. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग को भेजकर लेख है कि इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।


संयुक्त शासन सचिव